



डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रेषक

कुलसचिव,
डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

- (1). निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (2). समस्त विभागाध्यक्षगण,
डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (3). विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य,
डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (4). डा० संजीव गुप्ता,
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (5). श्री आशीष कुमार गुप्ता,
असिस्टेंट प्रोफेसर, दृष्टिबाधितार्थ विभाग,
डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक २७६६/पत्रा.सं०-568(द्वितीय)/डा.श.मि.रा.पु.वि./वि०परि०/2022-23

दिनांक: 10.01.2023

विषय:- डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा० विद्या परिषद की 28वीं बैठक
दिनांक: 07 जनवरी, 2023 की कार्यवृत्त प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा० विद्या परिषद की 28वीं बैठक दिनांक: 07 जनवरी, 2023 को लिए गये निर्णयों का कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,


(रोहित सिंह)
कुलसचिव

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
की मा० विद्या परिषद् की
28वीं बैठक दिनांक: 07 जनवरी, 2023 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त

समय—	अपराह्न : 03:00 बजे
स्थान—	प्रशासनिक भवन, पंचम तल स्थित सभागार, डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

विश्वविद्यालय की मा० विद्या परिषद् की 28वीं बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल पर स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:—

क्र० सं०	विषय
1/28	मा० विद्या परिषद् की 27वीं बैठक हेतु निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में। निर्णय:—मा० विद्या परिषद् की 27वीं बैठक दिनांक 03 नवम्बर, 2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2/28	मा० विद्या परिषद् की 27वीं बैठक दिनांक 03 नवम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में। निर्णय:—मा० विद्या परिषद् की 27वीं बैठक दिनांक 03 नवम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत हुई।
3/28	मा० विद्या परिषद् की 26वीं बैठक दिनांक 24 सितम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में। निर्णय:—मा० विद्या परिषद् की 26वीं बैठक दिनांक 24 सितम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत हुई।
4/28	विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों/संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 06.05.2016 में निहित व्यवस्थान्तर्गत कन्सेंट ऑफ एफिलिएशन (अनापत्ति) तथा सम्बद्धता दिये/निर्गत जाने से पूर्व शासन से प्राप्त की जाने वाली सहमति के सम्बन्ध में। निर्णय:—मा० विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों/संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 06.05.2016 में निहित व्यवस्थान्तर्गत (Consent of Affiliation) अनापत्ति तथा सम्बद्धता दिये/निर्गत किये जाने के पूर्व शासन से प्राप्त की जाने वाली सहमति के सम्बन्ध में मा० परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार, शासनादेश दिनांक 06.05.2016 में विहित व्यवस्थान्तर्गत संबंधित नवीन संस्थाओं को विश्वविद्यालय स्तर से (Consent of Affiliation) अनापत्ति निर्गत किये जाने से पूर्व शासन से सहमति प्राप्त की जायेगी। एक बार अनापत्ति से पूर्व शासन से ही किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ० प्र० शासन द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों/संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-11/2016/डी०एस०-40/65-3-2016-04 (वि०वि०)/2016, दिनांक 06.05.2016 में निहित व्यवस्थान्तर्गत कन्सेंट ऑफ एफिलिएशन (अनापत्ति) तथा सम्बद्धता दिये/निर्गत जाने से पूर्व शासन से प्राप्त की जाने वाली सहमति सम्बन्धी प्रावधान में तदनुसार संशोधन हेतु मा० विद्या परिषद् द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ० प्र० शासन को सन्दर्भित करने के निर्देश प्रदान किये गये।


(सहित सिंह)
 कुलसचिव
 डॉ० शकुन्तला मिश्रा
 राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय


(प्र० राणा प्रताप सिंह)
 कुलपति
 डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
 विश्वविद्यालय

5/28	विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त कार्यक्रम परिमार्जन पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।
	निर्णय:-विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित विभिन्न विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों के परिमार्जन/संशोधन के क्रम में विभागवार गठित विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा समय-समय पर बैठक आहूत करते हुए पाठ्यक्रमों हेतु अपनी संस्तुति की जा चुकी है, जिसको विश्वविद्यालय में लागू किए जाने का मा0 विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार विभागवार सूची निम्नवत् है- 1. शिक्षाशास्त्र विभाग: परास्नातक पाठ्यक्रम में शिक्षाशास्त्र (एक विषय के रूप में) तैयार किये गये नवीन पाठ्यक्रम को शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू किये जाने तथा प्री-पीएचडी कोर्स वर्क तैयार किये गये नवीन पाठ्यक्रम को विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। 2. प्रबन्धशास्त्र विभाग: एमबी0ए पाठ्यक्रम चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर एम0जी0टी0-401 (टेक्नालॉजी मैनेजमेन्ट) को विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा एमबी0ए0 पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में Objectives and Outcomes के सम्बन्ध में विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अधीन बी0बी0ए पाठ्यक्रम के पाठ्यचर्या के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। उपर्युक्त विभागों/पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परिमार्जित पाठ्यक्रमों का विभागीय अध्ययन मण्डल की संस्तुतियों पर विचार करते हुए मा0 विद्या परिषद द्वारा यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।
6/28	अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु उच्च शिक्षा अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-2/2020/226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में। निर्णय:-मा0 विद्या परिषद को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कार्मिकों के वेतन एवं सेवा शर्तों के मानक आदि के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-2/2020/226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 से संज्ञानित कराया गया, विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत B.Tech पाठ्यक्रम का सत्र 2016-17 से किया जा रहा है, संस्थान में सेवाएं दे रहे शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश में विहित प्राविधानों एवं दिशा-निर्देशों अंगीकृत किए जाने पर मा0 विद्या परिषद सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शासनादेश का अध्ययन करते हुए अपनी संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु 03 सदस्यीय समिति गठित किये जाने हेतु कुलपति, विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया तथा गठित समिति में बाह्य सदस्य के रूप में 01 सदस्य को सम्मिलित किया जाये।


 (रोहित सिंह)
 कुलपति
 डॉ० शकुन्तला मिश्रा
 विश्वविद्यालय


 (प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
 कुलपति
 डॉ० शकुन्तला मिश्रा
 विश्वविद्यालय

7/28	विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु विभिन्न विभागों में अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं लिए जाने के लिए आयोजित साक्षात्कार के उपरान्त सूचीबद्ध किये गये अतिथि व्याख्याताओं के सम्बन्ध में।
	निर्णय:- शैक्षिक सत्र 2022-23 में 09 संकायों के अन्तर्गत संचालित कला एवं संगीत, विशेष शिक्षा, कम्प्यूटर एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विधि, वाणिज्य संकायों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पठन-पाठन हेतु कुल 55 अतिथि व्याख्याताओं को दिनांक-31 मई, 2023 तक सूचीबद्ध किये पर मा0 विद्या परिषद द्वारा औपचारिक अनुमोदन किया गया।
8/28	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।
(1)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत शोध विनियमन दिनांक 07 नवम्बर, 2022 के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णय:-मा0 विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत शोध विनियमन दिनांक 07 नवम्बर, 2022 के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अंगीकृत किये जाने पर सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान करते हुए शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू करने के निर्देश प्रदान किये गये।
(2)	विश्वविद्यालय में Incubation Centre स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णय:- मा0 विद्या परिषद ने निदेशक, इनक्यूबेशन सेन्टर द्वारा Establishment of Innovation and Incubation Centre by Incorporative Company सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचार करते हुए पुनः समग्रता से आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।
	बैठक में उपस्थित सदस्यगण को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।


 (रोहित सिंह)
 कुलसचिव
 डॉ० शकुन्तला मिश्रा
 राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
 लखनऊ।


 (प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
 कुलपति
 डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
 विश्वविद्यालय, लखनऊ